Stock of wheat with Central Government Agency and State Governments

942. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the total stock of wheat with each of the Central Government Agency and State Governments as on 31st January, 1997;

(b) the quantity of wheat exported and imported by Food Corporation of India, STC and MMTC during the year 1996-97;

(c) the proposed export/import of wheat during the year 1997-98; and

(d) the effective strategies adopted by the Government in this regard?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) The closing stock of wheat in the Central Pool as on 31st January, 97 was as under:—

(Qty. in lakh tonnes)

As on	Central Pool		
	with FCI	with State Govts.	Total
31.1.97 (P)	23.60	27.20	50.80

(P-Provisional)

(b) The details of wheat exported by the State Trading Corporation of India (STC) and Metals and Minerals Trading Corporation of India (MMTC) during 1996-97 are as under:—

Name of Agency	Qty. exported (in lakh MTs)
STC	0.33
MMTC	0.35

FCI has not exported any quantity of wheat during 1996-97. However, it has contributed 9552 metric tonnes of wheat on behalf of the Government for World Food Programme (WFP) Aided Projects and sold 4.43 lakh tonnes of wheat to various buyers for the purpose of export under the Open Market Sales Scheme (Export).

Government has decided to import upto 2 million tonnes of wheat during 1996-97 and the FCI/STC has been authorised to take steps for import of wheat. Accordingly, the STC has already finalised contracts for import of Rs. 16.75 lakh tonnes of wheat as on 14.2.1997.

(c) and (d) Final decision in respect of import and export of wheat during 1997-98 has not been taken so far.

खुले बाजार में गेहूं की कीमत में वृद्धि करने से संबंधित भारतीय खाद्य निगम का निर्णय

943. श्री सोमपाल: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेचे जाने वाले गेहूं की कीमत में वृद्धि का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण विवरण सहित इसका औचित्य क्या है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं बेचे जाने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है; और

(घ) निविदाएं आमंत्रित करके गेहूं न बेचे जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) जी, हां। खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन बेचे जा रहे गेहूं की 18.9.96 और 4.2.97 से प्रभावी दरों का तुलनात्मक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए) विभिन्न केन्द्रों पर गेहूं के मूल्यों में वृद्धि की गई है जिसके लिए खुले बाजार के मूल्यों की तुलना में सरकार द्वारा अधिसूचित खुली बिक्री के मूल्यों के बीच भारी अंतर; वसूली क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों को गेहूं का संचलन करने में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किए गए भाड़े के घटक को निष्क्रिय करना; खुली बिक्री के संबंध में सब्सिडि के भार को कम करना और व्यापारियों को अवांछित लाभ कमाने से हतोत्साहित करना जैसे घटकों को ध्यान में रखा गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम खुली बिक्री योजना के अधीन आवंटित गेहूं उन राज्य सरकारों के लिए निर्मुक्त करता है जो जिला कलक्टरों/राज्य एजेंसियों के माध्यम से इसकी बिक्री करने की इच्छुक होती हैं। जहां राज्य सरकारें इसके लिए इच्छुक नहीं हैं वहां इच्छुक खरीदारों को गेहूं का आवंटन तीन सदस्यीय समिति करती है जिसमें